



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश (देहरादून)



Phone/fax No.: 0135-2430660

E-mail: eetdrksh@rediffmail.com

पत्रांक 859/ वनभूमि
सेवा में,

दिनांक 25/04/2025

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून।

विषय:-

जनपद-देहरादून में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषण सं० 105/2017 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चांदमारी-मिस्सरवाला-लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फूटपाथ के निर्माण हेतु 3.600 है० वन भूमि का लो० नि० वि० को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव FP/UK/ROAD/42851/2019)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू.सी.पी./06/137/2020/एफ.सी. दि० 28.02.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा प्रस्ताव पर आपत्ति लगायी गयी थी। उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर लिया गया है। परियोजना की कुल लागत 13.80 लाख है।

क्र०सं०	आपत्तियां	निराकरण
1	The proposed diversion area is 1.00 km away from Rajaji NP, regarding wildlife mitigation plan approved by CWLW is required to be submitted	Wildlife Mitigation Plan वन विभाग द्वारा बनाया जायेगा Mitigation Plan के अनुसार इस खण्ड द्वारा अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2	The proposed diversion area is situated at edge of Lachchiwala forest range and such area is elephant corridor, mitigation plan to be submitted accordingly.	Elephant Corridor, Mitigation Plan के अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3	The proposed proposal is of road widening project, regarding status of existing road with documentary evidence to be submitted.	वर्तमान प्रस्तावित मार्ग आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरता है, जिसके मूल दस्तावेज (साक्ष्य) प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा दिये जाने हैं।
4	As per the KML file of proposed road, the road passing over some buildings. Any rehabilitation plan proposed to be submitted.	मार्ग के समरेखण में आने वाली नाप भूमि एवं भवन का नियमानुसार मुआवजा विभाग द्वारा दिया जायेगा। मार्ग के समरेखण में यदि सरकारी भूमि पर निर्माण होगा तो सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमानुसार उक्त अतिक्रमण को हटाया जायेगा।
5	State government shall ensure the given CA should be free from any encroachment and submit a fencing proposal of CA at the cost of user agency.	वन विभाग की मांग के अनुसार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, एन०पी०वी० एवं अन्य धनराशि को लो०नि०वि० द्वारा जमा कराया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अग्रसारित करने की कृपा करें।

(सं० भृगुनाथ द्विवेदी)

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,

ऋषिकेश

दिनांक / /2025

पत्रांक / वनभूमि

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता, अ०ख०, लो०नि०वि०, ऋषिकेश को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,

ऋषिकेश

